न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/381

मिसल नम्बर– 60 / 2025

1. सीताराम सुलोदिया आत्मज श्री रघुवीर सिंह सुलोदिया, आयु 64 वर्ष
2. श्रीमती गिन्नी देवी पत्नी श्री सीताराम सुलोदिया, आयु 62 वर्ष जाति सेन, निवासीगण म०नं० बी–422, इन्द्राविहार, पुलिस थाना जवाहर नगर, कोटा (राजस्थान) मोबाईल नम्बर 9414274873

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती ज्योति सेन पत्नी श्री अभिषेक सुलोदिया पुत्री श्री चन्द्रप्रकाश, आयु 30 वर्ष, निवासी ग्राम पीपलोन, तहसील व जिला नीमच (मध्यप्रदेश) मोबाईल नम्बर 9713222977
2. अभिषेक सुलोदिया आत्मज श्री सीताराम सुलोदिया, आयु 31 वर्ष, निवासी म०नं० बी–422, इन्द्रा विहार, पुलिस थाना जवाहर नगर, कोटा (राजस्थान) मोबाईल नम्बर 9660141400

.....अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 30/03/2026

उपस्थिति:–

1.श्री अंकुर जैन प्रार्थीगण अधिवक्ता

2.अप्रार्थीगण स्वयं

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण आपस में पति–पत्नी है और म०नं० बी–422, इन्द्राविहार, पुलिस थाना जवाहर नगर, कोटा (राजस्थान) पर निवास करते चले आ रहे है और अप्रार्थीगण भी आपस में पति–पत्नी है और प्रार्थीगण के अप्रार्थी क्रम–1 व 2 पुत्रवधु व पुत्र है जो कि प्रार्थीगण के मकान के सैकण्ड फ्लोर पर निवास करते चले आ रहे है और ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रार्थीगण निवास करते है। अप्रार्थी क्रम–1 आये दिन छोटी–छोटी बातों को लेकर घर में कलह का वातावरण बनाये रखती और आये दिन गाली–गलौच करती रहती और लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो जाती, घण्टो मोबाईल फोन पर बातचीत करती रहती और कुछ कहने पर आये दिन प्रार्थीगण के साथ बुरी तरह से गाली–गलौच करते हुये दुर्व्यवहार करते हुये अपमानित करती रहती। इस पर प्रार्थीगण का ज्येष्ठ पुत्र भूपेन्द्र व पुत्रवधु सौम्या

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के द्वारा अप्रार्थी क्रम–1 को समझाने का प्रयास किया जाता तो उनके साथ भी बुरी तरह से गाली–गलौच करते हुये अपमानित करती और प्रार्थीगण के साथ–साथ उनको भी अपमानित करते हुये उनका भी तिरस्कार करती और घर का कोई भी छोटा बड़ा कार्य नहीं किया जाता बल्कि अप्रार्थी क्रम–1 काफी उग्र होते हुये महिलाओं सम्बधी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुये झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद करवाने की धमकी देते हुये उत्पीडित करती चली आ रही है। अप्रार्थी क्रम–2 के द्वारा अपनी पत्नी का ही पक्ष लेते हुये प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार किया जाता, जिससे अप्रार्थी क्रम–1 के हौंसले और बुलन्द हो जाते और वह बुरी तरह से प्रार्थीगण के साथ पेश आती और उनको किसी भी प्रकार का आदर सत्कार नहीं देती और बार–बार कहती रहती कि उसे व उसके पति को प्रार्थीगण व जेठ–जेठानी के साथ संयुक्त परिवार में निवास नहीं करना, पृथक से स्वतंत्र एकाकी जीवन व्यतीत करना है। इस पर भी प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण की जिद्द के सामने झुकते हुये अपने ही मकान के सैकण्ड फ्लोर पर निवास करने के लिये परिसर उपलब्ध करवा दिया ताकि अप्रार्थीगण स्वतंत्र एकांकी जीवन व्यतीत कर सके और प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार से कोई दुव्यवहार नहीं हो और परिवार की शांति व मान सम्मान गरिमा बनी रहे। इसी से डरकर प्रार्थीगण के द्वारा विवाह के पश्चात् से ही अप्रार्थीगण के व्यवहार व आचरण को नजरअंदाज करते चले आ रहे है, किंतु अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुये अपमानित करते चले आ रहे है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण के व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया बल्कि काफी उग्र होता चला गया और अप्रार्थी क्रम–1 आये दिन शराब का सेवन करके प्रार्थीगण के साथ बुरी तरह से गाली–गलौच करते हुये, अपमानित करते हुये डराया व धमकाया गया, जिसकी वजह से प्रार्थीगण व्यथित होते चले आ रहे है।

अप्रार्थी क्रम–1 मदिरा पान करने वाली दुर्व्यसनों में संलिप्त महिला है, जिसके चलते वह आये दिन शराब का सेवन करती रहती है और नशे का सेवन करके छत से कूदकर या अपने हाथ की नसे धारदार वस्तु से काटकर एवं फिनाईल का सेवन करके आत्महत्या करने की धमकी देती रहती है. इसी क्रम में अप्रार्थी क्रम–1 के द्वारा कैंची से अपने हाथ की नस काटकर स्वयं के जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसका भी मिथ्या आरोप अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण पर ही लगाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते चले आ रहे है, जिससे प्रार्थीगण का अपना जीवन व्यतीत करना ही काफी दुष्कर व कष्टकारक हो गया है जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के द्वारा पुत्र–पुत्रवधु का पूर्ण मान सम्मान दिया गया है और अपने परिसर में निवास करने दिया गया है।

अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में उनकी सम्पत्ति को हड़प करने की साजिश के तहत उनके मकान को अप्रार्थीगण उनके नाम करवाने की धमकी दे रहे है और प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की हरकतों को

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

देखते हुये उन्हें परिवार सहित मकान खाली करने हेतु कहा, जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा अपने उक्त मकान को खाली करने से इंकार कर दिया, जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि यदि प्रार्थीगण ने मकान खाली करने के लिये कहा या खाली करने के सम्बंध में कोई कानूनी कार्यवाही की तो प्रार्थीगण के उपर झूठा छेड़खानी, बलात्कार, लज्जा भग का आरोप लगाकर थाने में बंद करवा देगें। इस प्रकार अप्रार्थीगण अवैध रूप से उक्त मकान में कब्जा जमाये हुये है और खाली करने के लिये कहने पर प्रार्थीगण को पुलिस थाने एवं जेल में बंद करवाने की धमकियां देते चले आ रहे है तथा बिजली का बिल भी जमा नहीं कर रहे हैं। चूंकि बिजली व पानी का कनेक्शन प्रार्थीगण के नाम से ही है इसलिये मजबूरन विद्युत व पानी उपभोग का चार्जेज प्रार्थीगण द्वारा ही जमा करवाया जा रहा है।

अप्रार्थीगण का व्यवहार व आचरण प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण के पुत्र के साथ–साथ प्रार्थीगण के साथ भी काफी आक्रामक व क्रूरता पूर्ण रहा है। अप्रार्थीगण के द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को माता–पिता की भांति कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता है और ना ही प्रार्थी क्रम–2 जो कि हृदय सम्बंधी गम्भीर व्याधियों से रूग्ण होने के बावजूद भी उनके प्रति कोई मानवीय संवेदना का भाव नहीं रखा और ना ही कभी संवेदना प्रकट करते हुये करूणा का भाव रखा और ना ही कभी कोई देखभाल की गई और ना ही प्रार्थीगण को कभी अपने माता–पिता की भांति मान सम्मान दिया गया बल्कि प्रार्थीगण को काफी पीड़ा पहुंचाते हुये पीड़ित करते हुये व्यथित किया गया साथ ही प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुये मानवीय रूप से काफी आहत एवं व्यथित किया गया और बात–बात पर ताने मारती रहती कि यह कब मरेगी और हर दम मरने की ताने दिया करती साथ ही उक्त अवस्था को भलीभांति जानते व समझते हुये प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाने में झूठी शिकायतें करते हुये परेशान करती रहती, जिसके तहत प्रार्थीगण खून के आसू बहाते हुये मन मसोसकर रहे जाते। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की धमकियों व आचरण से व्यथित होकर एक विधिक नोटिस दिनांक 10.07.2025 को अप्रार्थीगण को जरिये अधिवक्ता रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया कि अप्रार्थीगण उक्त नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अंदर प्रार्थीगण के मकान को खाली करके उसका रिक्त कब्जा सम्भला देवे और प्रार्थीगण ने उनसे चल अचल सम्बंधी समस्त सम्बंध भी समाप्त कर दिये गये। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण एकदम नाराज हो गये और प्रार्थीगण के साथ बुरी से तरह से गाली–गलौच करते हुये दुर्व्यवहार किया और घर से निकाल दिये जाने की धमकी दी। तदनुसार उपरोक्त वर्णित तत्परिस्थितियों में प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के साथ निवास करना और उनको अपने परिसर में निवास करने देना कतई सम्भव नहीं है।

प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते है तथा सीनियर सिटीजन अधिनियम के तहत इस आशय की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण के स्वामित्वशुदा परिसर से तत्काल प्रभाव से खाली करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे साथ ही अप्रार्थीगण को पाबंद किया

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जावे कि अप्रार्थीगण किसी प्रकार से प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुये गाली–गलौच नहीं करे और ना ही जान से मारने इत्यादि की धमकी देकर उत्पीड़ित करें और ना ही प्रार्थीगण के ज्येष्ठ पुत्र व पुत्रवधु के साथ किसी प्रकार से गाली–गलौच करते हुये मिथ्या दोषारोपण लगाये और सार्वजनिक रूप से बदनाम करें। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिनांक 10.07.2025 को भिजवाये जाकर पर अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के परिसर को खाली नहीं करने और उल्टे प्रार्थीगण के साथ गाली–गलौच करते हुये उन्हें बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वे प्रार्थीगण के खरीदशुदा एवं मालिकाना स्वामित्व के मकान नम्बर बी–422, इन्द्राविहार, पुलिस थाना जवाहर नगर, कोटा (राजस्थान) को शांति पूर्वक मय परिवार के खाली करवाकर उसका कब्जा प्रार्थीगण को सम्भलाया जावे साथ ही अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार की मारपीट इत्यादि नहीं करें और ना ही शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करें साथ ही अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के उपर झूठे मुकदमें अनैतिकता पूर्ण रीति से आरोप लगाकर पुलिस में दर्ज करवाकर उसे परेशान ना करें और प्रार्थीगण को शांति पूर्ण रूप से जीवन–यापन करने देवे तथा अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रार्थीगण के पक्ष में पारित की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत कर हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण आपस में पति–पत्नी है और म०नं० बी–422, इन्द्राविहार, पुलिस थाना जवाहर नगर, कोटा (राजस्थान) पर निवास करते चले आ रहे है और अप्रार्थीगण आपस में पति–पत्नी है और प्रार्थीगण के अप्रार्थी क्रम–1 व 2 पुत्रवधु व पुत्र है जो कि प्रार्थीगण के मकान के सैकण्ड फ्लोर पर निवास करते चले आ रहे है और ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रार्थीगण निवास करते है।

अप्रार्थी क्रम–1 आये दिन छोटी–छोटी बातों को लेकर घर में कलह का वातावरण बनाये रखती और आये दिन गाली–गलौच करती रहती और लडाई–झगड़ा करने पर आमादा हो जाती, घण्टो मोबाईल फोन पर बातचीत करती रहती और कुछ कहने पर आये दिन प्रार्थीगण के साथ बुरी तरह से गाली–गलौच करते हुये दुर्व्यवहार करते हुये अपमानित करती रहती। इस पर प्रार्थीगण का ज्येष्ठ पुत्र भूपेन्द्र व पुत्रवधु सौम्या के द्वारा अप्रार्थी क्रम–1 को समझाने का प्रयास किया जाता तो उनके साथ भी बुरी तरह से गाली–गलौच करते हुये अपमानित करती और प्रार्थीगण के साथ–साथ उनको भी अपमानित करते हुये उनका भी तिरस्कार करती और घर का कोई भी छोटा बड़ा कार्य

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नहीं किया जाता बल्कि अप्रार्थी क्रम–1 काफी उग्र होते हुये महिलाओं सम्बंधी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुये झूठें आरोप लगाकर जेल में बंद करवाने की धमकी देते हुये उत्पीड़ित करती चली आ रही है। अप्रार्थी क्रम–2 के द्वारा अपनी पत्नी का ही पक्ष लेते हुये प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार किया जाता, जिससे अप्रार्थी क्रम–1 के हौंसले और बुलन्द हो जाते और वह बुरी तरह से प्रार्थीगण के साथ पेश आती और उनको किसी भी प्रकार का आदर सत्कार नहीं देती और बार–बार कहती रहती कि उसे व उसके पति को प्रार्थीगण व जेठ–जेठानी के साथ संयुक्त परिवार में निवास नहीं करना, पृथक से स्वतंत्र एकांकी जीवन व्यतीत करना है। इस पर भी प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण की जिद्द के सामने झुकते हुये अपने ही मकान के सैकण्ड फ्लोर पर निवास करने के लिये परिसर उपलब्ध करवा दिया ताकि अप्रार्थीगण स्वतंत्र एकांकी जीवन व्यतीत कर सके और प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार से कोई दुव्यवहार नहीं हो और परिवार की शांति व मान सम्मान गरिमा बनी रहे। इसी से डरकर प्रार्थीगण के द्वारा विवाह के पश्चात् से ही अप्रार्थीगण के व्यवहार व आचरण को नजरअंदाज करते चले आ रहे है, किंतु अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुये अपमानित करते चले आ रहे है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण के व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया बल्कि काफी उग्र होता चला गया और अप्रार्थी क्रम–1 आये दिन शराब का सेवन करके प्रार्थीगण के साथ बुरी तरह से गाली–गलौच करते हुये अपमानित करते हुये डराया व धमकाया गया, जिसकी वजह से प्रार्थीगण व्यथित होते चले आ रहे है।

अप्रार्थी क्रम–1 मदिरा पान करने वाली दुर्व्यसनों में संलिप्त महिला है, जिसके चलते वह आये दिन शराब का सेवन करती रहती है और नशे का सेवन करके छत से कूदकर या अपने हाथ की नसे धारदार वस्तु से काटकर एवं फिनाईल का सेवन करके आत्महत्या करने की धमकी देती रहती है, इसी क्रम में अप्रार्थी क्रम–1 के द्वारा कैंची से अपने हाथ की नस काटकर स्वयं के जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसका भी मिथ्या आरोप अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण पर ही लगाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते चले आ रहे है, जिससे प्रार्थीगण का अपना जीवन व्यतीत करना ही काफी दुष्कर व कष्टकारक हो गया है जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के द्वारा पुत्र–पुत्रवधु का पूर्ण मान सम्मान दिया गया है और अपने परिसर में निवास करने दिया गया है।

अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में उनकी सम्पत्ति को हड़प करने की साजिश के तहत उनके मकान को अप्रार्थीगण उनके नाम करवाने की धमकी दे रहे है और प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की हरकतों को देखते हुये उन्हें परिवार सहित मकान खाली करने हेतु कहा, जिस पर प्रार्थीगण के द्वारा अपने उक्त मकान को खाली करने से इंकार कर दिया, जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि यदि प्रार्थीगण ने मकान खाली करने के लिये कहा या खाली करने के सम्बंध में कोई कानूनी कार्यवाही की तो

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण के उपर झूठा छेड़खानी, बलात्कार, लज्जा भंग का आरोप लगाकर थाने में बंद करवा देगें। इस प्रकार अप्रार्थीगण अवैध रूप से उक्त मकान में कब्जा जमाये हुये है और खाली करने के लिये कहने पर प्रार्थीगण को पुलिस थाने एवं जेल में बंद करवाने की धमकियां देते चले आ रहे है तथा बिजली का बिल भी जमा नहीं कर रहे है। चूंकि बिजली व पानी का कनेक्शन प्रार्थीगण के नाम से ही है इसलिये मजबूरन विद्युत व पानी उपभोग का चार्जेज प्रार्थीगण द्वारा ही जमा करवाया जा रहा है। अप्रार्थीगण का व्यवहार व आचरण प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण के पुत्र के साथ–साथ प्रार्थीगण के साथ भी काफी आक्रामक व क्रूरता पूर्ण रहा है। अप्रार्थीगण के द्वारा कभी भी प्रार्थीगण को माता–पिता की भांति कोई मान सम्मान नहीं दिया जाता है और ना ही प्रार्थी क्रम–2 जो कि हृदय सम्बंधी गम्भीर व्याधियों से रूग्ण होने के बावजूद भी उनके प्रति कोई मानवीय संवेदना का भाव नहीं रखा और ना ही कभी संवेदना प्रकट करते हुये करूणा का भाव रखा और ना ही कभी कोई देखभाल की गई और ना ही प्रार्थीगण को कभी अपने माता–पिता की भांति मान सम्मान दिया गया बल्कि प्रार्थीगण को काफी पीड़ा पहुंचाते हुये पीड़ित करते हुये व्यथित किया गया साथ ही प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुये मानवीय रूप से काफी आहत एवं व्यथित किया गया और बात–बात पर ताने मारती रहती कि यह कब मरेगी और हर दम मरने की ताने दिया करती साथ ही उक्त अवस्था को भलीभांति जानते व समझते हुये प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाने में झूठी शिकायतें करते हुये परेशान करती रहती, जिसके तहत प्रार्थीगण खून के आंसू बहाते हुये मन मसोजकर रहे जाते। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की धमकियों व आचरण से व्यथित होकर एक विधिक नोटिस दिनांक 10.07.2025 को अप्रार्थीगण को जरिये अधिवक्ता रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया कि अप्रार्थीगण उक्त नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर अंदर प्रार्थीगण के मकान को खाली करके उसका रिक्त कब्जा सम्भला देवे और प्रार्थीगण ने उनसे चल अचल सम्बंधी समस्त सम्बंध भी समाप्त कर दिये गये। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण एकदम नाराज हो गये और प्रार्थीगण के साथ बुरी से तरह से गाली–गलौच करते हुये दुर्व्यवहार किया और घर से निकाल दिये जाने की धमकी दी। तदनुसार उपरोक्त वर्णित तत्परिस्थितियों में प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के साथ निवास करना और उनको अपने परिसर में निवास करने देना कतई सम्भव नहीं है।

प्रार्थीगण सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते है तथा सीनियर सिटीजन अधिनियम के तहत इस आशय की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण के स्वामित्वशुदा परिसर से तत्काल प्रभाव से खाली करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे साथ ही अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण किसी प्रकार से प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार करते हुये गाली–गलौच नहीं करे और ना ही जान से मारने इत्यादि की धमकी देकर उत्पीड़ित करें और ना ही प्रार्थीगण के ज्येष्ठ पुत्र व पुत्रवधु के साथ किसी प्रकार से गाली–गलौच करते हुये मिथ्या दोषारोपण लगाये और सार्वजनिक रूप से बदनाम करें।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के खरीदशुदा एवं मालिकाना स्वामित्व के मकान नम्बर बी–422, इन्द्राविहार, पुलिस थाना जवाहर नगर, कोटा (राजस्थान) को शांति पूर्वक मय परिवार के खाली करवाकर उसका कब्जा प्रार्थीगण को सम्भलवाया जावे साथ ही अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार की मारपीट इत्यादि नहीं करें और ना ही शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करें साथ ही अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण के उपर झूठें मुकदमें अनैतिकता पूर्ण रीति से आरोप लगाकर पुलिस में दर्ज करवाकर उसे परेशान ना करें और प्रार्थीगण को शांति पूर्ण रूप से जीवन–यापन करने देवे।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से मुख्य अनुतोष अप्रार्थी नं0 1 के विरूद्ध चाहा है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के टाईटल में प्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट रूप से अप्रार्थी नं0 1 का पता ग्राम पीपलोन, तहसील व जिला नीमच (मध्यप्रदेश) अंकित किया है। प्रार्थना पत्र के टाईटल से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी नं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान में निवास नही किया जा रहा है। परन्तु फिर भी प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में किसी प्रकार को साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं अभद्र व्यवहार कर मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है। साक्ष्य के अभाव में प्रार्थीगण अपने कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिस कारण से अप्रार्थीगण को उक्त म०नं० बी–422, इन्द्राविहार, पुलिस थाना जवाहर नगर, कोटा (राजस्थान) से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा